राज्य होम्योपैथी परिषद मध्यप्रदेश के विघटन के सम्बन्ध में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) प्रकाशन दिनॉक 03 अगस्त, 1978

(हिन्दी एवं अंग्रेजी)

रजिस्ट्रार की पूर्व-प्रदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिये अनुमत. अनुमति-पत्र क्रमांक भोपाल 5 ... /डब्ल्यू. पी.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन 122 (एम. पी.)

मध्य प्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्र. 183] भोपाल, बुधवार, दिनांक 3 अगस्त 1978--श्रावण 12, शके 1900

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

भोपाल, दिनांक 3 अगस्त 1978.

क्र. 2614-1110-सत्रह-मेडि.-4.--चूंकि राज्य सरकार को यह प्रतीत हुआ कि राज्य होम्योपैथी परिषद् ने मध्यप्रदेश होमियोपैथी परिषद् अधिनियम, 1976 (क्रमांक 19 सन् 1976), (जो इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) द्वारा या उसके अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का पालन करने में चूक की है और शक्तियों का अतिरेक एवं दुरुपयोग किया है जैसा कि नीचे दिए गए आरोपों में ब्यौरेवार दर्शाया गया है:--

आरोप

आरोप क्रमांक 1.--परिषद् ने तारीख 18 तथा 19 जून 1977 को किए गए अपने सम्मिलनों में श्री आर. के. जैन, रजिस्ट्रार को, जो निलंबित थे, मामले पर गुणागुण के आधार पर, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा उसके ज्ञापन क्र. 1777-2500-सत्रह-मेडि. 4, तारीख 27 मई 1977 में निर्देशित किया गया था, विचार किए बिना पुनः स्थापित करने का संकल्प पारित किया;

आरोप क्रमांक 2.--परिषद् ने उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना श्री आर. के. जैन, रजिस्ट्रार को पुनः स्थापित किया, देखिये परिषद् का आदेश क्र. 1683-77 तारीख 19 जून 1977;

आरोप क्रमांक 3.--परिषद् ने राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी अभिप्राप्त किए बिना श्री आर. के. जैन, रजिस्ट्रार को पुनरीक्षित वेतन-मान में अपना वेतन निकालने के लिये अनुज्ञात किया;

आरोप क्रमांक 4.--परिषद् ने मध्यप्रदेश होमियोपैथी (परिषद्) नियम, 1976 के भाग तीन परिषद् तथा उसकी समितियों के सम्मिलन में अन्तर्विष्ट नियमों का तारीख 27 मार्च 1977 तथा 18 जून 1977 को हुए सम्मिलनों के संबंध में अनुसरण करने में चूक की है;

आरोप क्रमांक 5.--परिषद् डा. वी. सी. गुप्ता, उपाध्यक्ष का त्यागपत्र जो उनके द्वारा तारीख 29 जून 1977 को प्रस्तुत किया गया था, अनावश्यक दीर्घ कालावधि तक रखे रहे और एतद्द्वारा उन्हें डा. एच. एन. दुबे, जिनकी मृत्यु हो गई है, के स्थान पर अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिये अनुज्ञात किया;

आरोप क्रमांक 6.--परिषद् ने डी. एच. बी. परीक्षा, 1976 के लिये अंक सूचियां तैयार करने में गंभीर अनियमिततायें की हैं.

और चूंकि राज्य सरकार ने ऐसी चूक, अतिरेक तथा दुरुपयोग को गंभीर स्वरूप का समझा और उक्त अधिनियम की धारा 40 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सूचना क्र. 4046-5703-सत्रह-मेडि.-4, दिनांक 7 दिसम्बर 1977 द्वारा उसकी विशिष्टियां, उक्त परिषद् को उससे यह अपेक्षा करते हुए, अधिसूचित किया कि वह ऐसी चूक, अतिरेक तथा दुरुपयोग का, उक्त सूचना की प्राप्ति की तारीख से बीस दिन की कालावधि के भीतर उपचार करें;

और चूंकि उक्त परिषद आरोप क्रमांक 4, 5 और 6 के बारे में ऐसी चूक अतिरेक तथा दुरुपयोग का राज्य सरकार द्वारा नियत किए गए समय के भीतर उपचार करने में असफल रही है.

अतएव, मध्यप्रदेश होमियोपैथी परिषद, अधिनियम, 1976 (क्रमांक 19 सन् 1976) की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा राज्य होमियोपैथी परिषद को तारीख 3 अगस्त 1978 से दो वर्ष की कालावधि के लिये विघटित करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. पी. ठाकुर, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 3 अगस्त 1978.

क्र. 2618-1110-सत्रह-मेडि-4.—राज्य के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. 2614-1110-सत्रह-मेडि-4, दिनांक 3 अगस्त 1978 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. पी ठाकुर, उपसचिव.

Bhopal, the 3rd August, 1978.

No. 2614-1110-XVII-Med-IV.—Whereas, it appeared to the State Government that the State Council of Homoeopathy has failed to exercise the powers and to perform the duties and had exceeded and abused the powers conferred on it by or under the Madhya Pradesh Homoeopathy Parishad Adhiniyam, 1976 (No. 19 of 1976) (hereinafter referred to as the said Act), as detailed in the Charges hereunder:

CHARGES

Charge No. 1—The Council, in its meetings held on the 18th and 19th June 1977, passed resolution reinstating Shri R. K. Jain, Registrar under suspension without considering the case on merit as directed by the State Government in its Memo. No. 1777-2500-XVII-Med, IV, dated the 27th May 1977;

Charge No. 2—The Council reinstated Shri R. K. Jain, Registrar *vide* its Order No. 1683-77, dated the 19th June 1977, without previous sanction of the State Government, as required by sub-section (1) of section 19 of the said Act;

Charge No. 3—The Council allowed Shri R. K. Jain, Registrar to draw his salary in revised scale without obtaining previous sanction of the State Government;

Charge No. 4—The Council failed to follow the rules contained in Part III. Meetings of the Council and its Committees of the Madhya Pradesh Homoeopathy (Council) Rules, 1976, in respect of the meetings held on the 27th March, 1977 and the 18th June, 1977;

Charge No. 5. The Council kept the resignation of Dr. B. C. Gupta, Vice-President, submitted by him on the 29th June 1977 for unduly long period and thereby allowed him to work as President *vice* Dr. H. N. Dube deceased;

Charge No. 6—The Council committed serious irregularities in the preparation of mark-sheets for D. H. B. Examination, 1976.

AND, Whereas, the State Government considered such failure, excess and abuse to be of a serious character and by Notice No. 4046-5703-XVII-Med. IV, dated the 7th December, 1977, issued under sub-section (1) of section 40 of the said Act notified the particulars thereof, to the said Council requiring it to remedy the said failure, excess and abuse within a period of twenty days from the date of receipt of the said Notice;

AND WHEREAS, the said Council has failed to remedy such failure, excess and abuse within the time fixed by the State Government in respect of charges No. 4, 5 and 6;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by secton 40 of the Madhya Pradesh Homoeopathy Parishad Adhiniyam, 1976 (No. 19 of 1976), the State Government hereby dissolves the State Council of Homoeopathy with effect from 3rd August, 1978 for a period of two years.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
K. P. THAKUR, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 3 अगस्त 1978.

क्र. 2616-1110-सत्रह-मेडि.-4.—मध्यप्रदेश होमियोपैथी परिषद् अधिनियम, 1976 (क्रमांक 19, सन् 1976), की धारा 40 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, श्री एम. के. खरे, अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल को राज्य होमियोपैथी परिषद् के प्रशासक के रूप में उसके (राज्य होमियोपैथी परिषद् के) विघटन की तारीख से नियुक्त करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. पी. ठाकुर, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 3 अगस्त 1978.

क्र. 2619-1110-सत्रह-मेडि.-4.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 2616-1110-सत्रह-मेडि.-4, दिनांक 3 अगस्त 1978 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. पी. ठाकुर, उपसचिव.

Bhopal, the 3rd August 1978.

No. 2616-1110-XVII-Med.-IV.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 40 of the Madhya Pradesh Homoeopathy Parishad Adhiniyam, 1976 (No. 19 of 1976), the State Government hereby appoints Shri M. K. Khare, Under Secretary, Madhya Pradesh Government, Public Health and Family Welfare Department, Bhopal as Administrator of the State Council of Homoeopathy with effect from the date of its dissolution.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
K. P. THAKUR, Dy. Secy.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश, द्वारा शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित— 1978.